

एअर इंडिया लिमिटेड के लिए जीडीएस/सीआरएस बुकिंग नीति

1. परिचय

वितरण लागत को कम करने के निरंतर प्रयासों में एअर इंडिया औद्योगिक भागीदारों के अनुरूप जीडीएस/सीआरएस बुकिंग नीति को अपडेट कर रही है। जैसाकि आपको विदित ही है कि प्रत्येक बार जीडीएस/सीआरएस समर्थित यात्रा सेवा प्रदाता किसी एयरलाइन सेगमेंट को बुक, संशोधन या रद्द करता है तो (कोई भी ट्रेवल एजेंसी प्रमाणित या गैर प्रमाणित उपभोक्ता, सीआरएस/जीडीएस उपयोगकर्ता, तथा कोई अन्य व्यक्ति या इकाई जिसकी इंटरनेट व किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एअर इंडिया की आरक्षण प्रणाली में पहुंच है) वह एयरलाइन्स को जीडीएस/सीआरएस बिल भेजता है। बुकिंग नीति का उद्देश्य गैर सक्रिय सेगमेंटों को निकालते हुए हमारे यात्रा सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करना है तथा ऐसी अन्य प्रथाओं को रोकना है जिसका एयरलाइन इनवेंटरी में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एअर इंडिया अनुपालन नहीं की गई पद्धतियों की पहचान करने के लिए सभी यात्रा सेवा प्रदाता का जीडीएस/सीआरएस बीआईडीटी (बिलिंग इनफोरमेशन डाटा टेप) से प्राप्त लेन-देन का ऑडिट करती है। एअर इंडिया को मासिक इनवॉयस या एडीएम (एजेंसी डेबिट मीमों) जारी करने का अधिकार है ताकि प्रति सेगमेंट जीडीएस/सीआरएस बुकिंग लागत तथा किसी और सभी अनुपालन नहीं की जा रही पद्धतियों के लिए प्रशासनिक सेवा शुल्क की वसूली की जा सके।

नीति के अनुपालन से हमारे भागीदार ग्राहकों को बेहतर सीट उपलब्धता तथा बेहतर सेवा के माध्यम से अधिक मूल्य सृजित किया जा सकेगा तथा अनावश्यक लागत में कमी होगी।

इस नीति का उद्देश्य एअर इंडिया के लिए पूरक राजस्व सृजित करना नहीं है। हमारा प्रयास गैरसक्रिय सेगमेंट से संबद्ध लागत को कम करना है तथा ऐसी पद्धति को रोकना है जिससे एयरलाइन के प्रचालन और आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण इनवेंटरी का दुरुपयोग एवं जीडीएस/सीआरएस समर्थित सेवाओं का अनुचित उपयोग होता है।

जीडीएस/सीआरएस नीति से संबद्ध शुल्क तथा उल्लंघन से बचने का सर्वोत्तम तरीका एयरलाइन नीति के अनुपालन का पूर्ण प्रयास करना है। हमेशा की तरह, हम सदैव आपके प्रयासों के लिए सहायता करने को तैयार रहेंगे यदि आपका कोई विशेष प्रश्न या मामला होगा।

यह नीति सभी ट्रेवल एजेंटों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय; मान्यताप्राप्त तथा गैर मान्यताप्राप्त) तथा अन्य व्यक्ति या इकाई जिसकी पहुंच सीधे या इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एअर इंडिया के आरक्षण प्रणाली में हो, पर लागू होती है।

यह यात्रा सेवा प्रदाताओं का दायित्व है कि वह सभी स्थानों पर अपने सभी कर्मचारियों को इस नीति की तथा एअर इंडिया से सभी भावी अपडेट की जानकारी या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जीडीएस कम्यूनिकेशन के माध्यम से दें।

2. बुकिंग/टिकटिंग पद्धति

2.1 आरक्षण रद्दकरण

जब भी किराया नियम के अनुसार टिकट खरीदा नहीं गया हो या ग्राहक द्वारा सूचित किया गया हो कि अब यात्रा की आवश्यकता नहीं है, जो भी पहले हो, तो तत्काल सेगमेंट को रद्द किया जाए तथा इनवेंटरी को जारी किया जाए। एक यात्री के रिक्त स्थान को किसी अन्य यात्री को नहीं दिया जा सकता, चाहे वह यात्री किसी आंतरिक प्रतिस्थापन को स्वीकार करते हुए एक समान यात्रा कार्यक्रम की इच्छा रखता हो। नए ग्राहक द्वारा नया आवेदन वर्तमान उपलब्धता और किराए के आधार पर किया जा सकता है।

एयरलाइन प्रणाली द्वारा समय-सीमा की समाप्ति के कारण रद्द बुकिंग को जीडीएस/सीआरएस में भी रद्द किया जाना चाहिए।

2.2 चर्निंग

चर्निंग से तात्पर्य बार-बार बुकिंग रद्द करने तथा समान आइटिनरी की पुनः बुकिंग समान या विभिन्न श्रेणी की सेवा में एक या अधिक पीएनआर या जीडीएस/सीआरएस में करने में होता है। यह पद्धति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे अन्य सेवा प्रदाता से सीटें ब्लॉक हो जाती हैं तथा हमारे ग्राहकों को नुकसान होता है। आपसे सभी बुकिंग तथा टिकटिंग अपेक्षाओं के अनुपालन का अनुरोध है। किसी भी यात्री की बुकिंग 6 या अधिक बार होती है तो उसकी सभी मौजूद बुकिंग उपयुक्त लागत वसूली के साथ रद्द की जाएगी तथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चर्निंग की अनुमति किसी भी कारण नहीं होगी जिसमें टिकट की समय-सीमा को बढ़ाना या फेरबदल करना, इनवेंटरी को रोके रखना या किराए का पता लगाना या विशेष टिप्पणियों को एक यात्राक्रम से दूसरे में कैरी फारवर्ड करेगा सम्मिलित है।

2.3 दोहरा सीआरएस/जीडीएस

यात्रा सेवा प्रदाता जो अपने बिजनेस में एक सीआरएस/जीडीएस से अधिक का प्रयोग करता है उसे विशेष यात्री की आइटिनरी की टिकट उसी सीआरएस/जीडीएस में ही बुक करनी तथा बनानी चाहिए। अन्य पीएनआर तथा अन्य जीडीएस में टिकट को सृजित करने के परिणामस्वरूप उन्हीं समूह के यात्रियों के लिए एयरलाइन को अधिक लागत पड़ती है अतः यह अस्वीकार्य है।

2.4 दोहरी बुकिंग/सेगमेंट

यात्रियों की बुकिंग बहुत सारी उड़ानों में या बहुत सारी श्रेणियों में करने से एयरलाइन के लिए जीडीएस बुकिंग शुल्क में वृद्धि हो जाती है तथा इनवेंटरी की हानि होती है। एक यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा सृजित सभी दोहरी बुकिंग निषेध है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है;

- एक यात्री के नाम से कई यात्रियों की बहुत सारी आइटिनरी, चाहे वह समान आइटिनरी हो या नहीं हो।
- आरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फार्मेट या सेवा की श्रेणी पर ध्यान दिए बिना ही समान उड़ान या विभिन्न उड़ानों में उसी निर्धारित समय सीमा में एक या अधिक सीटें आरक्षित करना।

2.5 साथ ही, एक या अधिक पीएनआर या सीआरएस/जीडीएस में सृजित प्रत्येक सेगमेंट में आरक्षण सृजित करना तथा उपयोग में लाना तार्किक रूप से असंभव है तथा इसकी अनुमति नहीं है जैसे यातायात प्रतिबंधों का उल्लंघन, न्यूनतम संपर्क समय या अव्यवहारिक आइटिनरी।

2.6 फर्जी या प्रत्याशित बुकिंग

यात्री या टिकटिंग समय के सृजित होने तक एयरलाइन इनवेंटरी में दी गई टिकट संख्या तथा फर्जी या प्रत्याशित बुकिंग से एयरलाइन के लिए जीडीएस बुकिंग शुल्क में वृद्धि हो जाती है और हमारे उत्पाद की उपलब्धता में कमी आती है। आपको जीडीएस/सीआरएस का उपयोग तभी करने का अनुरोध है जब यह टिकट खरीदने के लिए यात्री के अनुरोध या आशय से सीधे संबंधित हो।

सेगमेंट सृजित करना/निष्क्रिय या सक्रिय/या दोनों के संयोजन से एयरलाइन को वित्तीय हानि होती है।

फर्जी टिकट संख्या डालकर इसे रोके रखने से बाज़ार में हमारे उत्पाद की उपलब्धता कम हो जाती है।

ऐसी बुकिंग में पीएनआर के तहत किए गए निम्न आरक्षण की सूची सम्मिलित है :

- अनुसूची क/ख/ग
- माउस/मिक्की तथा अन्य सामान्य नाम
- स्मिथ/क/ख/ग
- टेस्ट/श्री

साथ में, ऐसे पीएनआर को प्रत्याशित मांग के कारण, ग्राहक के निर्णय न ले पाने के कारण या किसी भी अन्य कारण से बिना किसी सीमा के रोके रखना या ब्लॉक करना किसी एयरलाइन की नीति, आरक्षण प्रक्रिया या किराया नियम में गतिरोध उत्पन्न करने की अनुमति नहीं है।

फर्जी या प्रत्याशित बुकिंग को निकाल देने से नए ग्राहकों के लिए सीटों की बेहतर उपलब्धता तथा आपके ग्राहकों के लिए वरीयत श्रेणी की सेवा उपलब्ध हो सकेगी तथा एयरलाइन पर अनावश्यक सीआरएस/जीडीएस लागत में कमी आएगी। यात्रा सेवा प्रदाता समूह, यात्री समूह तथा एयरलाइन से वांछित लाभदायक स्थिति की मांग की जाती है।

2.7 ग्रुप बुकिंग

स्वीकार्य ग्रुप बुकिंग में सीआरएस/जीडीएस में सक्रिय रूप से की गई सेगमेंट की प्रविष्टि सम्मिलित है। इन सक्रिय सेगमेंटों का मिलान एअर इंडिया आरक्षण प्रणाली में पहले से मौजूद सेगमेंट से किया जाना आवश्यक है। सक्रिय सेगमेंट की प्रविष्टि केवल टिकट जारी करने के समय पर ही की जाए।

सीआरएस/जीडीएस के तहत की गई ग्रुप बुकिंग जो सीधे ग्राहक के अनुरोध पर नहीं की गई है तथा टिकटिंग से पहले ही रद्द कर दी जाती है वह प्रत्याशित समझी जाती है। ऐसी ग्रुप बुकिंग जो इन प्रक्रियाओं पर गतिरोध उत्पन्न करती है उस पर एयरलाइन द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है/या उसे रद्द किया जा सकता है। एअर इंडिया द्वारा ऐसी प्रत्याशित ग्रुप बुकिंग की अनुमति नहीं है।

2.8 सीटें ब्लॉक करना

एयरलाइन ग्रुप प्रक्रिया के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी अलग-अलग बुकिंग करके सीटें ब्लॉक करना निषेध है। ऐसी बुकिंग को बिना पूर्व सूचना के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

2.9 असक्रिय सेगमेंट

असक्रिय सेगमेंट पीएनआर में वह सेगमेंट है जिनपर अनुसूची में परिवर्तन या उड़ान रद्दकरण से या नॉन-डायरेक्ट बिक्री की प्रतिक्रिया के कारण प्रभाव पड़ता है। असक्रिय सेगमेंट को जीडीएस/सीआरएस की कतार में यात्रा सेवा प्रदाताओं के पास भेजा जाता है तथा इनकी पहचान यूसी/यूएन/यूएस/एनओ/एचएक्स/एचएन/एचएल/पीएन स्टेट्स कोड से की जा सकती है।

सभी असक्रिय सेगमेंट को प्रस्थान के कम से कम 24 घंटे पहले जीडीएस/सीआरएस पीएनआर से हटाया जाना चाहिए या रद्द किया जाना चाहिए। असक्रिय सेगमेंट जो प्रस्थान से 24 घंटे पहले हटाया या रद्द नहीं किए जाते वह एअर इंडिया से लागू वसूली शुल्क प्रभारों के अधीन होंगे। बार-बार तथा लगातार उल्लंघन करने से एयरलाइन्स द्वारा अतिरिक्त जुर्माने की कार्यवाही की जा सकती है।

2.10 निष्क्रिय सेगमेंट

टिकटिंग के उद्देश्य से जीडीएस/सीआरएस में स्वीकृत निष्क्रिय सेगमेंट की प्रविष्टि की जाती है। इसका मिलान एअर इंडिया आरक्षण प्रणाली में मौजूद बुकिंग से होना आवश्यक है। मिलान नहीं होने की स्थिति में अस्वीकृत संदेश बुकिंग सेवा प्रदाता के पास भेजा जाता है तथा उस सेगमेंट पर उड़ान प्रस्थान से 24 घंटे पहले कार्यवाही अपेक्षित होती है।

यात्रा सेवा प्रदाता को पीएनआर कार्यक्षमता के दावे का उपयोग करना आवश्यक होता है जब भी वह उपलब्ध हो और उसका उपयोग निष्क्रिय सेगमेंट सृजित करने के स्थान पर टिकटिंग के लिए किया जाना चाहिए। जब एअर इंडिया सृजित पीएनआर का दावा संभव हो तब निष्क्रिय सेगमेंट सृजित करने की अनुमति नहीं है।

निष्क्रिय सेगमेंट के उपयोग के संबंध में दुरुपयोग को रोकने तथा नियंत्रण लागत को बेहतर बनाने के लिए एअर इंडिया जीडीएस/सीआरएस में निष्क्रिय सेगमेंट नोटिफिकेशन में सम्मिलित होती है जिससे वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कि जब भी यात्रा सेवा प्रदाता निष्क्रियता से एअर इंडिया सेगमेंट बुक करता है तो एअर इंडिया को लेन-देन के अंत में निष्क्रिय सेगमेंट नोटिफिकेशन (पीके, पीएल, पीयू, पीएक्स) संदेश प्राप्त होता है।

1. एअर इंडिया द्वारा प्रत्येक निष्क्रिय सेगमेंट नोटिफिकेशन संदेश को सत्यापित कर दिया जाता है ताकि इस बात का निर्धारण किया जा सके कि आंतरिक आरक्षण प्रणाली में समान सेगमेंट मौजूद है।

2. यदि एअर इंडिया की आंतरिक प्रणाली में समान सेगमेंट दिखाई नहीं देता तो एक संदेश सीआरएस/जीडीएस पीएनआर को वापस भेजा जाएगा जिसमें निष्क्रिय सेगमेंट का स्टेटस कोड परिवर्तित होकर 'नहीं' (कोई कार्यवाही नहीं की गई) हो जाएगा।

3. अस्वीकृत सेगमेंट के साथ एसएसआर भी होगा जो बताएगा कि वह सेगमेंट जो निष्क्रिय है, वह वैध नहीं है। एअर इंडिया द्वारा निम्न एक या अधिक कारणों से निष्क्रिय सेगमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है:

- क. समान आईटेनरी नहीं पाई गई
- ख. समान नाम नहीं पाया गया
- ग. समान यात्रियों की संख्या नहीं पाई गई
- घ. समान सेवा की श्रेणी नहीं पाई गई

4. औद्योगिक मानकों से अपेक्षा की जाती है कि निष्क्रिय सेगमेंट का उपयोग "टिकटिंग के उद्देश्य के लिए" तभी किया जाए जब बुकिंग एयरलाइन इनवेंटरी प्रणाली में की गई हो। एअर इंडिया इस बात की अनुमति नहीं देती कि निष्क्रिय सेगमेंट का उपयोग निम्नलिखित सहित अन्य कारणों के लिए किया जाए:

क. किराया नियमों का उल्लंघन करना

ख. प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करना

सभी उल्लंघन होने की स्थिति में यह केवल एडीएम रोज करने या अन्य वित्तीय वसूली कार्यवाही तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि एयरलाइन द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

2.10 विशिष्ट सेवा अनुरोध

अनुरोध किया जाता है कि सर्वप्रथम पीएनआर सृजित करते समय या मौजूद पीएनआर को लेन-देन समाप्ति सहित बंद करते समय, एसएसआर एलिमेंट को एड करने से पहले, एयरलाइन प्रणाली के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करें। इसके बाद आप पीएनआर को पुनः प्राप्त करें तथा अपना एसएसआर अनुरोध डालें तथा लेन-देन समाप्ति इनपुट के साथ पीएनआर को बंद कर दें। एसएसआर इनपुट को सामान्य पीएनआर सृजन/अपडेट से अलग करने से एअर इंडिया प्रणाली में दोहरे पीएनआर के सृजन तथा संभावित उल्लंघन की रोकथाम होती है।

पैसेंजर नेम रिकार्ड (पीएनआर) में आइटिनरी परिवर्तित करते समय यह आवश्यक है कि मूल बुकिंग से किसी विशिष्ट सेवा अनुरोध के लिए पुनः अनुरोध करें। इसमें अकेला अव्यस्क तथा विशिष्ट भोजन का अनुरोध सम्मिलित है। जब एसएसआर संदेश आइटिनरी के केवल एक भाग के लिए हो तो विशिष्ट सेवा अनुरोध उड़ान विशेष के लिए होना चाहिए तथा आइटिनरी की सभी उड़ानों के लिए नहीं होना चाहिए। यदि कोई हानि या वित्तीय लागत तथा भार एअर इंडिया पर पड़ेगा तो वह टिकटिंग एजेंट या यात्रा सेवा प्रदाता पर डाल दिया जाएगा।

2.11 पीएनआर प्रशिक्षण या परीक्षण

सीआरएस/जीडीएस द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रशिक्षण मोड या नॉन-बिलेबल सेगमेंट स्टेट्स कोड का उपयोग स्थितियों के परीक्षण या कार्मिक प्रशिक्षण के समय अवश्य किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के उद्देश्य से पीएनआर सृजित करते समय सक्रिय सेल सेगमेंट स्टेट्स कोड का उपयोग निषेध है।

2.12 नाम में परिवर्तन

सभी एअर इंडिया आरक्षण के लिए यात्री द्वारा प्रथम तथा आखिरी नाम उपलब्ध कराना आवश्यक है। यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा ग्राहक का प्रथम तथा आखिरी नाम उपलब्ध कराना आवश्यक है जो यात्री के पासपोर्ट में दिया गया हो।

पीएनआर में नाम में परिवर्तन या नाम को रद्द नहीं करें। आरक्षण में नाम से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वह यात्री के नाम की त्रुटिवश लिखी गई गलत वर्तनी को ठीक करने का उद्देश्य से ना हो। स्थान के रद्दकरण से बचने के लिए तथा गलत वर्तनी को ठीक करने के लिए एअर इंडिया आरक्षण कार्यालय से संपर्क किया जाए।

2.13 प्रतीक्षा सूची सेगमेंट

यात्रा सेवा प्रदाता बार-बार प्रतीक्षा सूची सेगमेंट सृजित ना करे, जिससे किसी भी स्थिति में प्रतीक्षा सूची में पुष्टि के अवसर में वृद्धि नहीं होती। एजेंसी भी क्लोज फ्लाइट में जबरदस्ती प्रतीक्षा सूची डालने से बचें।

सभी प्रतीक्षा सूची सेगमेंट उड़ान के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले तक जीडीएस/सीआरएस पीएनआर से रद्द कर दिए जाने चाहिए जो प्रतीक्षा सूची सेगमेंट प्रस्थान से 24 घंटे पहले रद्द नहीं किए जाते वह एअर इंडिया से लागत वसूली शुल्क प्रभार के अधीन होंगे।

2.14 अमान्य टिकट

यात्रा सेवा प्रदाता अमान्य टिकट संख्या के साथ बुकिंग को बनाए नहीं रखें। अमान्य टिकट संख्या में प्रतिबंधित, उपयोग की हुई, रिफंड की हुई, अमान्य या गैर मौजूद टिकट संख्या सम्मिलित है। एअर इंडिया मैनुअल टिकटिंग इनपुट की अनुमति नहीं देती। यात्रा सेवा प्रदाताओं को एअर इंडिया आरक्षण प्रणाली में मांग की हुई या गैर-पुष्टिकृत स्टेट्स की बुकिंग के लिए पुष्टिकृत टिकट जारी नहीं करनी चाहिए।

यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जारी की जा रही टिकट के लिए उपयोग में लाया गया श्रेणी कोड पीएनआर में मौजूद कोड से मेल खाता हो।

2.15 टिकटिंग नीति

यात्रा सेवा प्रदाता पहले से संग्रहित किराए के बजाए नवीनतम तथा अपडेटेड किराए का ही सदैव प्रयोग करे तथा सभी स्थानीय और विदेशी सरकारों द्वारा लागू सभी करों, शुल्कों तथा अधिभारों को संग्रहित करे तथा रिपोर्ट करे।

यात्रा सेवा प्रदाता नो-शो, रद्दकरण, पुनः जारी आदि के लिए यथा लागू जुर्माने का संग्रहण सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही यात्रा सेवा प्रदाता को निम्नलिखित का पालन करना चाहिए।

- एअर इंडिया की समय सीमा
- निष्क्रिय, पीएनआर (स्टेट्स एचएक्स, एनओ, यूएन, यूसी, यूएस/एचएल) को बहाल/अपडेट नहीं करें
- एक ही लेन-देन में रद्द तथा जमा नहीं करें।
- निर्धारित फार्मेट में पीएनआर में टीएसए (यूएसए का ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन) के अपेक्षानुसार लागू सरकारी विनियम तथा अपेक्षाएं तथा ग्राहक सुरक्षा सूचना एसएसआर (डीओसीएस/डीओसीए/डीओसीओ) उपलब्ध कराएं।
- ग्राहक का मोबाइल कांटेक्ट नंबर संगत जीडीएस फोन फील्ड या ओएसआई घटक में उपलब्ध कराएं ताकि बाधित हैंडलिंग में सहायता मिल सके।
- ऐसी बुकिंग सृजित नहीं करें जिससे व्यक्तिगत एयरलाइनों द्वारा परिभाषित न्यूनतम संपर्क समय की अपेक्षाओं का उल्लंघन होता हो।
- गैर मौजूद उड़ानों तथा सेगमेंटों, अमान्य सेगमेंटों में बुकिंग सृजित नहीं करे या व्यक्तिगत उड़ानों द्वारा प्रकाशित या परिभाषित अनुसार यातायात प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करें।

- यात्रा सेवा प्रदाता किसी भी उद्देश्य से मूल गंतव्य एकल सेगमेंट विक्रय के लिए यात्रा नियंत्रण, ओ एवं डी बुकिंग, मैरिड सेगमेंट को अलग ना करें और एयरलाइन सिस्टम लॉजिक से हेरफेर ना करें।

3. नीति का उल्लंघन

एअर इंडिया को अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए यात्रा सेवा प्रदाता को उत्तरदायी माने तथा किसी प्रकार की हानि या क्षति के लिए प्रभार लगाए। किसी या सभी प्रकार के उल्लंघन के स्पष्टीकरण का प्राधिकार पूर्ण रूप से एअर इंडिया के पास होगा।

एअर इंडिया को किसी भी प्रकार की बुकिंग को रद्द करने का अधिकार है चाहे उसकी टिकट हो गई हो या यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा अनुपालन नहीं किए जाते, के मामले में टिकट नहीं हुई हो या इस नीति के किसी भी भाग का अनुपालन नहीं किए जाने की पहचान की गई हो।

किसी यात्रा सेवा प्रदाता की एअर इंडिया इनवेंटरी को देखने, बुक करने या टिकट करने के लिए एक्सेस को किसी भी समय विशेष रूप से इसकी नीतियों के उल्लंघन के मामले में, ब्लॉक करने का अधिकार होगा।

यात्रा सेवा प्रदाता द्वारा इस नीति के उल्लंघन के लिए एअर इंडिया द्वारा कानूनी कार्रवाई के अधिकार के अतिरिक्त, एअर इंडिया एडीएम (एजेंसी डेबिट मीमो) नीति में दिए अनुसार यात्रा सेवा प्रदाता तथा यात्रा सेवा प्रदाताओं को प्रति उल्लंघन पर शुल्क का भुगतान प्रभारित करने का अधिकार एअर इंडिया को होगा। हमारे जीडीएस/सीआरएस बुकिंग नीति के प्रत्येक उल्लंघन पर प्रति यात्री प्रति सेगमेंट 5 यूएसडी शुल्क लागू होगा।

प्रश्न?

एअर इंडिया की बुकिंग नीतियां या एअर इंडिया द्वारा जारी डेबिट मीमो से संबंधित जानकारी के लिए कृपया ई-मेल द्वारा rcsauto@airindia.in पर अपने प्रश्न समिट करें।

जीडीएस/सीआरएस बुकिंग संबंधित जानकारी के लिए कृपया अपने जीडीएस/सीआरएस प्रदाताओं से संपर्क करें।

कार्यपालक निदेशक

राजस्व प्रबंधन एवं औद्योगिक मामले

एअर इंडिया लिमिटेड